बिहार सरकार
कृषि विभाग

पत्रांक :—NHM/BHDS/53/2022 - कृ०वि०(उ०)- 118 - /पटना दिनांक 13/09/2024

प्रेषक,

मनोज कुमार,
संयुक्त सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

अनौपचारिक रूप से परामर्शित

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

द्वारा : **वित्त विभाग।**

विषय : **वित्तीय वर्ष 2024—25 में राज्य स्कीम मद से छत पर बागवानी अंतर्गत गमलों एवं फार्मिंग बेड योजना के कार्यान्वयन हेतु कुल 191.00 लाख (एक करोड़ एकानवे लाख) रूपये मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।**

आदेश : **स्वीकृत।**

वित्तीय वर्ष 2024—25 में राज्य स्कीम मद से छत पर बागवानी अंतर्गत गमलों एवं फार्मिंग बेड योजना के कार्यान्वयन हेतु कुल 191.00 लाख (एक करोड़ एकानवे लाख) रूपये मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. इस योजना का मुख्य उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में घर के छत पर जैविक फल, फूल एवं सब्जी के क्षेत्र एवं उत्पादन में उच्च तकनीक का उपयोग कर उत्पादकता में वृद्धि कर उपलब्धता को सुलभ बनाना, बसावटों के नजदीक पर्यावरण सुधार हेतु हरित क्षेत्र विकसित करना तथा सौंदर्यीकरण करना है।

3. इस योजना का कार्यान्वयन राज्य के चार जिलों यथा पटना (पटना सदर, फुलवारीशरीफ, दानापुर तथा खगौल के शहरी क्षेत्रों), गया, मुजफ्फरपुर एवं भागलपुर के नगर निगम क्षेत्रों में किया जायेगा।

4. वित्तीय वर्ष 2024—25 में शहरी क्षेत्रों हेतु छत पर बागवानी योजना अंतर्गत गमलों एवं फार्मिंग बेड का जिलावार घटकवार कार्य योजना अनुसूची—1 के रूप में संलग्न है। योजना का कार्यान्वयन उद्यान निदेशालय द्वारा पंजीकृत एजेंसीयों के माध्यम से कराया जायेगा। घटकवार संक्षिप्त विवरणी निम्नवत हैं:—

(i) **गमले की योजना—** इसके अंतर्गत प्रति इकाई 30 गमला (10'' का 5, 12'' का 5, 14'' का 10 एवं 16'' का 10 गमला पौधा सहित) इच्छुक व्यक्तियों को दिया जायेगा। किसी व्यक्ति विशेष द्वारा अधिकतम 5 यूनिट (30X5=150 गमला पौधा सहित) का लाभ लिया जा सकेगा। किसी भी सरकारी/गैर सरकारी संस्थाओं को इस घटक का लाभ नहीं दिया जायेगा। योजना अंतर्गत उपयोग में लाया जाने वाला मिट्टी का गमला (क्लेपॉट) होगा जिसपर उद्यान निदेशालय का लोगो White Paint से करना आवश्यक होगा।

गमले की योजना अंतर्गत संबंधित एजेन्सी द्वारा निकाई, गुड़ाई, सिंचाई हेतु 3 माह तक प्रति माह 02 बार 15 दिनों के अंतराल पर लाभुकों को माली की सेवा उपलब्ध करायी जाएगी।

गमले की योजना का प्रति इकाई (30 गमला पौधा सहित) का लागत राशि 10,000 रूपये है जिसपर 75 प्रतिशत की दर से 7,500 रूपये In Kind के रूप में एक मुश्त अनुदान दिया जायेगा। शेष राशि 2,500 रूपये लाभुकों द्वारा वहन किया जायेगा। इस घटक से संबंधित गमलों

के आकार एवं दिये जाने वाले पौधों से संबंधित विस्तृत विवरणी अनुसूची–2 के रूप में संल . है।

(ii) **फार्मिंग बेड की योजना–** इसके अंतर्गत प्रति यूनिट 03 पोर्टेबल फार्मिंग बेड, 02 ऑर्गेनिक किट, 06 फ्रुट बैग (24"x24") फ्रुट प्लांट साहित, 5 राउण्ड स्पाइनेच ग्रेइंग बैग (24"x12"), ड्रेन सेल (120 sqft), सेपलिंग ट्रे (1 ट्रे प्रति सिजन–तीनों सिजन में), हैण्ड स्प्रेयर 1, खुरपी 1, मोटर एवं बाल्टी के साथ ड्रिप संस्थापन किया जायेगा। फार्मिंग बेड के निकाई, गुड़ाई एवं सिंचाई की सुविधा चयनित एजेंसी द्वारा प्रति इकाई प्रति माह 02 (15 दिनों के अंतराल पर) बार किया जायेगा। इससे संबंधित विस्तृत विवरण अनुसूची–3 के रूप में संलग्न है।

एक आवेदक फार्मिंग बेड योजना में अधिकतम 2 यूनिट का लाभ ले सकते हैं। इस घटक का लाभ किसी भी सरकारी/गैर सरकारी प्रतिष्ठान यथा विद्यालय, महाविद्यालय, अस्पताल इत्यादि द्वारा 5 यूनिट तक का लाभ लिया जा सकेगा।

फार्मिंग बेड की योजना का प्रति इकाई लागत राशि 50,000 रूपये है जिसपर 75 प्रतिशत की दर से 37,500 रूपये In Kind के रूप में दो किस्त में अनुदान दिया जायेगा। शेष राशि 12,500 रूपये लाभुकों द्वारा वहन किया जायेगा। प्रथम किस्त के रूप में कुल अनुदान का 90 प्रतिशत (33,750 रूपये) राशि का भुगतान किया जायेगा एवं शेष 10 प्रतिशत राशि (3,750 रूपये) का भुगतान एजेंसी द्वारा संतोषप्रद कार्य किये जाने के उपरांत लाभुकों से प्राप्त संतुष्टि प्रमाण–पत्र के आधार पर किया जायेगा।

(iii) **योजना का प्रचार–प्रसार –** योजना के प्रचार–प्रसार हेतु रेडियो जिंगल (पटना, गया, मुजफ्फरपुर एवं भागलपुर में चलने वाले सभी एफ.एम. रेडियो चैनल पर लगातार तीन माह) तथा विभिन्न चौक–चौराहो पर होर्डिंग, लिफलेट/पम्पलेट एवं विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से विज्ञापन इत्यादि बिहार वित्तीय नियमावली का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए 3.50 लाख रूपये व्यय किया जाएगा।

5. इस योजनान्तर्गत लगभग 14040 मानव दिवस सृजन होने की संभावना है।

6. योजना अंतर्गत लाभुकों से आवेदन Online उद्यान निदेशालय के साईट– www.horticulture.bihar.gov.in पर प्राप्त किया जायेगा।

7. योजना का कार्यान्वयन राज्य स्तर पर मिशन निदेशक, राज्य बागवानी मिशन, बिहार एवं जिला स्तर पर सहायक निदेशक उद्यान द्वारा किया जायेगा। योजना कार्यान्वयन संबंधित मार्गदर्शिका अनुसूची–04 के रूप में संलग्न है।

8. योजना के सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी निदेशक उद्यान, बिहार, पटना होंगे।

9. योजना के कार्यान्वयन में बिहार वित्तीय नियामावली का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

10. योजनान्तर्गत स्वीकृत राशि की निकासी अनुसूची–1 के अनुसार वित्त विभागीय पत्र सं0–2561 दिनांक 17.04.1998 का अनुपालन करने हेतु संबंधित जिला के सहायक निदेशक उद्यान–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा संबंधित जिला के कोषागार से फार्म नं0– BTC-42 पर CFMS के माध्यम से किया जायेगा।

11. योजना कार्यान्वयन में वित्तीय सीमा के अन्दर आवश्यक संशोधन प्रशासी विभाग द्वारा किया जा सकेगा।

12. व्यय के बाद उपयोगिता प्रमाण–पत्र स्वीकृत्यादेश निर्गत की तिथि से 18 माह के अंदर कार्यान्वयन एजेन्सी द्वारा प्रशासी विभाग एवं महालेखाकार को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा। महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना को अंकेक्षण का अधिकार होगा।

13. उक्त योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2024–25 में बजट उपबंध से संबंधित विवरणी निम्न प्रकार है :–

(राशि लाख रू0 में)

बजट शीर्ष	उपबंधित राशि	स्वीकृत राशि
मुख्य शीर्ष "2401 फसल कृषि कर्म, उपमुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष 119– बागवानी तथा वनस्पति फसलें, माँग संख्या 01, उप शीर्ष 0101– उद्यान विकास योजना, विपत्र कोड 01–2401001190101,विषय शीर्ष 0101.31.06 सहायक अनुदान–गैर वेतन।	23568.000	150.0496
मुख्य शीर्ष "2401–फसल कृषि कर्म, उपमुख्य शीर्ष – 00, लघु शीर्ष 789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, माँग संख्या 01, उप शीर्ष – 0130 उद्यान विकास योजना, विपत्र कोड 01–2401007890130, विषय शीर्ष 0130.31.06 सहायक अनुदान–गैर वेतन।	6000.000	38.2000
मुख्य शीर्ष "2401 फसल कृषि कर्म, उपमुख्य शीर्ष– 00, लघु शीर्ष 796–जनजातीय क्षेत्र उप योजना, माँग संख्या 01, उपशीर्ष 0152 – उद्यान विकास योजना, विपत्र कोड 01–2401007960152, विषय शीर्ष 0152.31.06 सहायक अनुदान– गैर वेतन।	432.000	2.7504
कुल	**30000.0000**	**191.0000**

14. वित्त विभाग के संकल्प संख्या–3758 दिनांक–31.05.2017 में निहित प्रावधान के आलोक में नई योजना के रूप में योजना कार्यान्वयन प्रस्ताव एवं स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर सचिव, कृषि का अनुमोदन संचिका संख्या– NHM/BHDS/53/2022 के पृष्ठ संख्या–70/टि० पर दिनांक–06.09.2024 को प्राप्त है।

15. वित्त विभागीय परिपत्र संख्या–7355 वि०(2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

16. राज्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या NHM/BHDS/53/2022 के पृष्ठ संख्या–72/टि0 पर दिनांक–12.09.2024 को प्राप्त है जिसका डायरी संख्या–629 दिनांक–12.09.2024 है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

13/9/24

(मनोज कुमार)
संयुक्त सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : NHM/BHDS/53/2022-जी०पी०एम०-118- /पटना दिनांक: 13/09/ 2024

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, अंकेक्षण, महालेखाकार (ले० एवं ह०) कार्यालय, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/9/24

संयुक्त सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : NHM/BHDS/53/2022 -जी०पी०एम०-118- /पटना दिनांक: 13/09/ 2024

प्रतिलिपि : योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/9/24

संयुक्त सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

D:\E Surya from april 23\Amit Kumar\Sanction Order (191.000).doc

ज्ञापांक : NHM/BHDS/53/2022 - पी०पी०एम०-118- /पटना दिनांक: 13/09/ 2024

प्रतिलिपि : सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : NHM/BHDS/53/2022 - पी०पी०एम०- 118- /पटना दिनांक: 13/09/ 2024

प्रतिलिपि : सचिवालय कोषागार पदाधिकारी, विकास भवन, पटना एवं जिला कोषागार पदाधिकारी, पटना, मुजफ्फरपुर, गया, तथा भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : NHM/BHDS/53/2022 - पी०पी०एम०-118- /पटना दिनांक: 13/09/ 2024

प्रतिलिपि : माननीय कृषि मंत्री के आप्त सचिव/कृषि उत्पादन आयुक्त के आप्त सचिव, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, कृषि के आप्त सचिव/कृषि निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक उद्यान, बिहार, पटना/मिशन निदेशक, राज्य बागवानी मिशन, बिहार, पटना/अपर कृषि निदेशक, प्रसार, बिहार, पटना/निदेशक, भूमि संरक्षण, बिहार, पटना/निदेशक, पी०पी०एम०, कृषि विभाग, बिहार, पटना/सभी संबंधित प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य)/संबंधित उप निदेशक (शष्य)/संबंधित, जिला कृषि पदाधिकारी,/सहायक निदेशक उद्यान, पटना, मुजफ्फरपुर, गया एवं भागलपुर/संबंधित अनुमंडल कृषि पदाधिकारी/संबंधित प्रमंडलीय उप निदेशक (उद्यान) प्रक्षेत्र/मुख्यालय स्थित सभी संबंधित पदाधिकारीगण/वरीय प्रभारी पदाधिकारी, जैविक प्रोत्साहन कोषांग/बजट एवं योजना शाखा (सचिवालय एवं निदेशालय) कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : NHM/BHDS/53/2022 - पी०पी०एम०-118- /पटना दिनांक: 13/09/ 2024

प्रतिलिपि : उप निदेशक (शष्य), सूचना, बिहार, पटना/आई०टी० मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर डालने एवं संबंधित पदाधिकारियों एवं कोषागार पदाधिकारी को ई–मेल से भेजने हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

अनुसूची–1

वित्तीय वर्ष 2024–25 अंतर्गत छत पर बागवानी योजना का जिलावार कार्य योजना

राशि लाख रूपये में

क्र०सं०	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का नाम	गमले की योजना अंतर्गत यूनिट की संख्या (प्रति यूनिट गमले की संख्या 30)		फार्मिंग बेड योजना अन्तर्गत यूनिट की संख्या		योजना प्रचार–प्रसार पर व्यय	सामान्य श्रेणी @78.56%	अनुसूचित जाति @20%	अनुसूचित जनजाति @1.44%	कुल वित्तीय लक्ष्य
		भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय		विपत्र कोड–01–2401001190101	विपत्र कोड–01–2401007890130	विपत्र कोड–01–2401007960152	
1	सहायक निदेशक उद्यान, पटना	1500	112.5	50	18.75	2	104.6812	26.6500	1.9188	133.2500
2	सहायक निदेशक उद्यान, गया	200	15	10	3.75	0.5	15.1228	3.8500	0.2772	19.2500
3	सहायक निदेशक उद्यान, मुजफ्फरपुर	200	15	10	3.75	0.5	15.1228	3.8500	0.2772	19.2500
4	सहायक निदेशक उद्यान, भागलपुर	200	15	10	3.75	0.5	15.1228	3.8500	0.2772	19.2500
कुल		**2100**	**157.5**	**80**	**30**	**3.50**	**150.0496**	**38.2000**	**2.7504**	**191.0000**

(राकेश कुमार) (अभिषेक कुमार)

अनुसूची–2
छत पर बागवानी योजना अन्तर्गत (गमलों की योजना)
वित्तीय वर्ष 2024–25 (एक युनिट में उपलब्ध सामग्री की विवरणी)

- **Clay Pot**
  Clay Pot 10"में लगने वाले पौधे :–
  Tulsi, Ashwagandha, Aloevera, Stevia and Mint Plant (Mentha) etc.
  Clay Pot 12"में लगने वाले पौधे :–
  Snake Plant (Sensveria), Daffon, Money Plant, Rose and Chandani etc.
  Clay Pot 14" में लगने वाले पौधे :–
  Areca Palm, FicusPanda, Adenium, Tagar, Aprajita, Almonda, Ticoma, Baugain-vellia, Bhutani Malika, Starlight Ficus and Kari-patta etc.
  Clay Pot 16"में लगने वाले पौधे :–
  Guava, Mango, Nimbu, Chiku, Banana, Apple Ber, Rubber Plant, Hibiscus, X-mas Plant, Croton and Morepankhi (Thuja spp.), etc.

Fruits की सूची
Guava
Mango
Nimbu
Chiku
Banana
Apple Ber

लाभुक द्वारा सूची से इच्छानुसार 5 पौधों का चयन किया जा सकता है।

- **Permanent Flowers की सूची**
  Adenium
  Rose
  Tagar (Gandhraj)
  Aparajita
  Chandani
  Hibiscus
  Almonda
  Ticoma
  Baugainvellia
  Bhutani Malika
  Bela/Juhi/Chameli

लाभुक द्वारा सूची से इच्छानुसार 10 पौधों का चयन किया जा सकता है।

Medicinal/Aromatic Plants की सूची
Tulsi
Alovera
Ashwagandha
Stevia
Kari Patta
Mint Plant (Pudina)
Lemon grass
Vasak (हड़वाकस/वाकस)

लाभुक द्वारा सूची से इच्छानुसार 5 पौधों का चयन किया जा सकता है।

- **Indoor/Purifying &Show Plant की सूची**
  Areka Palm
  Rubber Plant/Ficus Lyrata
  Snake Plant/Sensveria
  Daffon (Difenbachia)
  More Pankhi (Thuja Spp.)
  Crotan
  X-mas Plants (Aracaria)
  FicusStar Light
  FicusPanda
  Singonium
  Aglonema

लाभुक द्वारा सूची से इच्छानुसार 10 पौधों का चयन किया जा सकता है।

प्रति यूनिट राशि की गणना

- Clay Pot 10" - 5pc x Rs.40 = Rs. 200
  Clay Pot 12" - 5pc x Rs.75 = Rs. 375
  Clay Pot 14" - 10pc x Rs.115 = Rs. 1150
  Clay Pot 16" - 10pc x Rs.175 = Rs. 1750
  Total = Rs. 3475.00
- Permanent flowers के समूह से कोई भी 10 @Rs. 125.00
  Amount = Rs. 1250.00
- **Fruit** समूह से कोई भी 5 पौधा @Rs. 120.00
  Amount = Rs. 600.00
- Medicinal/Aromatic Plant समूह से कोई भी 5 पौधा @Rs. 40.00
  Amount = Rs. 200.00
- Indoor/Purifying & Show plant समूह से कोई भी 10 पौधा @Rs. 160.00
  Amount = Rs. 1600.00
- मिट्टी, कम्पोस्ट, मजदूरी व्यय एवं परिवहन खर्च – 3000.00 रूपये
  कुल योग –3475.00 + 1250.00 + 600.00 + 200.00 + 1600.00 + 3000.00 = 10,125.00
  In round figure in Rs. 10,000.00

(राकेश कुमार) (अभिषेक कुमार)

अनुसूची :– 3

छत पर बागवानी योजना का अवयववार विवरणी (300 Sq. ft.)

S. N.	Item	Qty	Rate	Value	Component Details
1	Portable Farming System (40 sq. ft. growing area + 30 sq. ft. walk around area) Size 10 ft x 10 inch)	3	11500	34500	Vermi compost (50kg) + Cocopit dry (30kg) + Perlite (1kg) for one potable farming system Ms Farm Green Net (120 sqft) Drip System (For 120 Sqft) Sub surface drainage system (For 120 sqft)
2	Organic Gardening Kit (for 9 months)	2	600	1200	Organic spray (5 spray) Bio-pesticide-as per need Yellow sticky trap (1) Bio-fertilizer (mid-season) (2 kg) Bio-fertilizer (end-season) (2 kg) Net thread
3	Fruit Bag (24 inches x 24 inches)	6	500	3000	Container (24 inches x 24 inches) Drip System Vermi compost (12 kg) + Cocopit dry (8 kg) + Gangetic silt for one Fruit bag
4	Round spinach growing bag (24 inches x 12 inches)	5	400	200	Container (24 inches x 24 inches) Drip System Vermi compost (6 kg) + Cocopit dry (4 kg) + Gangetic silt for one growing bag (for leafy vegetables & medicinal plant)
5	Drain cell	120ft	35	4200	HDPE (30 mm)
6	Fruit Plant	6	80	480	Guava/Lemons/Fig etc.
7	Sapling tray (1 tray/Season)	40 (plant each season)	Hybrid seedling-3 /plant Exotic plant-10/plant	500	only seedling will be provided for vegetable crop except leafy vegetable and root vegetable
8	Hand sprayer	1	150	150	1 Litre
9	Khurpi	1	100	100	For deep hoeing
10	Drip installation with motor and bucket	01 each		300	
11	On side support visit	18 (Monthly 2 visit)	200	3600	
				50030	
			Say this	50000	

Total area required- 300 sq.ft.,

Total growing area include- क्रमांक 1 में अंकित 1 portable farming system (40 x3=120+30=150 sq.ft.), क्रमांक 3 में अंकित fruit bag (4 x 2=8+7=15x6=90 sq.ft.) क्रमांक 4 में अंकित Round spinach growing bag (4x2=8+4=12x5=60 sq.ft.)

(राकेश कुमार)

(अभिषेक कुमार)

अनुसूची–4

छत पर बागवानी अंतर्गत गमले एवं फार्मिंग बेड योजना कार्यान्वयन संबंधित मार्गदर्शिका

वित्तीय वर्ष 2024–25 में राज्य स्कीम मद से छत पर बागवानी अंतर्गत गमलों एवं फार्मिंग बेड योजना के कार्यान्वयन हेतु कुल 191.00 लाख (एक करोड़ एकानवें लाख) रूपये मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी है। इस योजना का कार्यान्वयन राज्य के चार जिलों यथा पटना (पटना सदर, फुलवारीशरीफ, दानापुर तथा खगौल के शहरी क्षेत्रों), गया, मुजफ्फरपुर एवं भागलपुर के नगर निगम क्षेत्रों में किया जायेगा।

योजना का कार्यान्वयन स्वीकृत्यादेश के साथ संलग्न अनुसूची–1, 2 एवं 3 द्वारा अवयववार/जिलावार स्वीकृत लक्ष्य के आलोक में किया जाएगा।

इस योजना का मुख्य उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में घर के छत पर जैविक फल, फूल एवं सब्जी के क्षेत्र एवं उत्पादन में उच्च तकनीक का उपयोग कर उत्पादकता में वृद्धि कर उपलब्धता को सुलभ बनाना, बसावटों के नजदीक पर्यावरण सुधार हेतु हरित क्षेत्र विकसित करना तथा सौंदर्यीकरण करना है।

वित्तीय वर्ष 2024–25 अंतर्गत योजना के कार्यान्वयन हेतु अवयववार अनुदेश निम्नवत् हैः–

1. **गमले की योजनाः–**

इसके अंतर्गत प्रति इकाई 30 गमला (10″ का 5, 12″ का 5, 14″ का 10 एवं 16″ का 10 गमला पौधा सहित) इच्छुक व्यक्तियों को दिया जायेगा। किसी व्यक्ति विशेष द्वारा अधिकतम 5 यूनिट (30X5=150 गमला पौधा सहित) का लाभ लिया जा सकेगा। किसी भी सरकारी/गैर सरकारी संस्थाओं को इस घटक का लाभ नहीं दिया जायेगा। योजना अंतर्गत उपयोग में लाया जाने वाला मिट्टी का गमला (क्लेपॉट) होगा जिसपर उद्यान निदेशालय का लोगो White Paint से करना आवश्यक होगा।

गमले की योजना अंतर्गत संबंधित एजेन्सी द्वारा निकाई, गुड़ाई, सिंचाई हेतु 3 माह तक प्रति माह 02 बार 15 दिनों के अंतराल पर लाभुकों को माली की सेवा उपलब्ध करायी जाएगी।

इस घटक का प्रति इकाई लागत राशि 10000 रूपये है जिसपर 75 प्रतिशत की दर से 7500 रूपये In Kind के रूप में एक मुश्त अनुदान दिया जायेगा। शेष राशि 2500 रूपये लाभुकों द्वारा वहन किया जायेगा। संस्थाओं को यह लाभ देय नहीं होगा।

क्लेपॉट में रूटींग मीडिया अंतर्गत मिट्टी, बालू, कोकोपिट एवं कम्पोस्ट का क्रमशः 50:10:20:20 अनुपात में उपयोग किया जायेगा।

साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी लाभुक से डिलीवरी के उपरांत लेकर संधारित किया जायेगा जिसे BHO द्वारा ऑनलाईन पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा। इस घटक से संबंधित विस्तृत विवरणी अनुसूची–2 के रूप में संलग्न है।

2. **फार्मिंग बेड की योजना–**

इसके अंतर्गत प्रति यूनिट 03 पोर्टेबल फार्मिंग बेड, 02 ऑर्गेनिक किट, 06 फ्रुट बैग (24″X24″) फ्रुट प्लांट साहित, 5 राउण्ड स्पाइनेच ग्रेइंग बैग (24″X12″), ड्रेन सेल (120 sqft),, सेपलिंग ट्रे (1 ट्रे प्रति सिजन–तीनों सिजन में), हैण्ड स्प्रेयर 1, खुरपी 1, मोटर एवं बाल्टी के साथ ड्रिप संस्थापन किया जायेगा। फार्मिंग बेड के निकाई, गुड़ाई एवं सिंचाई की सुविधा चयनित एजेंसी द्वारा प्रति इकाई प्रति माह 02 (15 दिनों के अंतराल पर) बार किया जायेगा। इससे संबंधित विस्तृत विवरण अनुसूची–3 के रूप में संलग्न है।

(राकेश कुमार) (अभिषेक कुमार)

एक आवेदक फार्मिंग बेड योजना में अधिकतम 2 यूनिट का लाभ ले सकता है। इस घटक का लाभ किसी भी सरकारी/गैर सरकारी प्रतिष्ठान यथा विद्यालय, महाविद्यालय, अस्पताल इत्यादि द्वारा 5 यूनिट तक का लाभ लिया जा सकेगा।

फार्मिंग बेड की योजना का प्रति इकाई लागत राशि 50000 रूपये है जिसपर 75 प्रतिशत की दर से 37,500 रूपये In Kind के रूप में दो किस्त में अनुदान दिया जायेगा। शेष राशि 12,500 रूपये लाभुकों द्वारा वहन किया जायेगा। प्रथम किस्त के रूप में कुल अनुदान का 90 प्रतिशत राशि का भुगतान किया जायेगा एवं शेष 10 प्रतिशत राशि का भुगतान एजेंसी द्वारा संतोषप्रद कार्य किये जाने के उपरांत लाभुकों से प्राप्त संतुष्टि प्रमाण–पत्र के आधार पर किया जायेगा।

3. योजना का प्रचार–प्रसार–

योजना के प्रचार–प्रसार हेतु रेडियो जिंगल (पटना, गया, मुजफ्फरपुर एवं भागलपुर में चलने वाले सभी एफ.एम. रेडियो चैनल पर लगातार 3 माह) तथा विभिन्न चौक–चौराहों पर प्रचार वाहन, होर्डिंग, लिफलेट/पम्पलेट एवं विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से विज्ञापन इत्यादि बिहार वित्तीय नियमावली का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए 3.50 लाख रूपये व्यय किया जा सकेगा।

उपर्युक्त तीनों घटकों यथा–गमले की योजना, फार्मिंग बेड योजना एवं योजना प्रचार–प्रसार से संबंधित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य निम्नवत है:–

(राशि लाख रू० में)

क्र०सं०	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का नाम	गमले की योजना अंतर्गत यूनिट की संख्या (प्रति यूनिट गमले की संख्या 30)		फार्मिंग बेड योजना अन्तर्गत यूनिट की संख्या		योजना प्रचार–प्रसार पर व्यय	कुल वित्तीय लक्ष्य
		भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय		
1	सहायक निदेशक उद्यान, पटना	1500	112.5	50	18.75	2	133.2500
2	सहायक निदेशक उद्यान, गया	200	15	10	3.75	0.5	19.2500
3	सहायक निदेशक उद्यान, मुजफ्फरपुर	200	15	10	3.75	0.5	19.2500
4	सहायक निदेशक उद्यान, भागलपुर	200	15	10	3.75	0.5	19.2500
कुल		**2100**	**157.5**	**80**	**30**	**3.50**	**191.0000**

4. फार्मिंग बेड योजना का लाभ पेन्ट हाउस, अपार्टमेन्ट, शैक्षणिक एवं अन्य संस्थान को भी दिया जायेगा, परन्तु गमले की योजना का लाभ संस्थाओं को नहीं दिया जायेगा।

5. इस योजनान्तर्गत लगभग 14040 मानव दिवस सृजन होने की संभावना है।

6. आवेदन की पात्रता:–

6.1 आवेदक का पटना (पटना सदर, दानापुर, खगौल एवं फुलवारीशरीफ), गया, भागलपुर एवं मुजफ्फरपुर नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत घर/फ्लैट संबंधित नगर निगम/नगर परिषद से निर्गत रसीद/घरेलू बिजली बिल/सरकारी आवास का आवंटन पत्र होना आवश्यक है।

6.2 लाभुक का वैध फोटो पहचान पत्र/आधार कार्ड होना आवश्यक है।

(राकेश कुमार) (अभिषेक कुमार)

6.3 फार्मिंग बेड योजना के लाभुक को घर के छत पर कम से कम 300 Sq.ft जगह की उपलब्धता आवश्यक है।

7. आवेदन की प्रक्रिया :–

7.1 आवेदन Online http://horticulture.bihar.gov.in/ के माध्यम से प्राप्त किया जायेगा।

7.2 आवेदक का चयन "पहले आओ पहले पाओ" के आधार पर किया जायेगा परन्तु वैसे आवेदक जो अपना स्वयं का अंश पहले जमा करेंगे उन्हें सर्वोच्च प्राथमिकता दी जायेगी।

7.3 उद्यान निदेशालय द्वारा क्षेत्रवार/नगर निगम/नगर परिषद वार एजेंसी का निर्धारण किया जायेगा।

7.4 आवेदन प्राप्ति के एक सप्ताह के अंदर प्रखण्ड उद्यान पदाधिकारी द्वारा आवश्यक जाँचोपरांत योजना का लाभ देने संबंधित स्वीकृति आदेश निर्गत करने की अनुशंसा सहायक निदेशक, उद्यान से करना आवश्यक होगा। सहायक निदेशक, उद्यान द्वारा उक्त अनुशंसा प्राप्ति के 07 दिनों के अंदर स्वीकृति आदेश निर्गत किया जायेगा। संबंधित लाभुक को स्वीकृति आदेश Whatsapp/SMS के माध्यम से उपलब्ध कराई जायेगी। स्वीकृति आदेश प्राप्ति के 10 दिनों के अंदर लाभुक को स्वयं का अंश (राशि) जमा करना आवश्यक होगा। लाभुक द्वारा स्वयं का अंश (राशि) जमा करने के 07 दिनों के अंदर सहायक निंदेशक, उद्यान द्वारा संबंधित एजेंसी को कार्यादेश निर्गत किया जायेगा।

7.5 कार्यादेश निर्गत होने के 15 दिनों के अंदर उद्यान निदेशालय द्वारा पंजीकृत एजेंसी द्वारा लाभुक से संपर्क कर सभी आवश्यक सामग्रियों की आपुर्त्ति करते हुए अधिष्ठापन कार्य पूर्ण किया जायेगा। कार्य पूर्ण करने के पश्चात् संबंधित लाभुक से सामग्री प्राप्ति रसीद एवं संतुष्टि प्रमाण–पत्र प्राप्त कर पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा।

7.6 छत पर बागवानी योजना का सत्यापन संबंधित प्रखण्ड उद्यान पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा तथा Geotag युक्त सेल्फी फोटोग्राफ के साथ सत्यापन पत्र Online Portal पर अपलोड किया जायेगा एवं 7 दिनों के अन्दर विपत्र का अग्रसारण किया जाना आवश्यक होगा। यदि 7 दिनों के अन्दर संबंधित प्रखंड उद्यान पदाधिकारी के द्वारा अग्रसारण नहीं किया जाता है तो वह स्वतः सहायक निदेशक, उद्यान के पोर्टल पर आ जायेगा। स्वतः अग्रसारण के कारण किसी प्रकार की गलती होगी तो उसकी सम्पूर्ण जिम्मेवारी संबंधित प्रखंड उद्यान पदाधिकारी की हीं होगी।

7.7 सहायक निदेशक उद्यान द्वारा अगले 7 दिनों के अन्दर जाँचोंपरांत भुगतान की कार्रवाई की जायेगी।

8. जिला स्तर पर सहायक निदेशक उद्यान, प्रमण्डल स्तर पर उप निदेशक उद्यान एवं राज्य स्तर पर संबंधित योजना के नोडल पदाधिकारी/मिशन निदेशक, बिहार बागवानी विकास सोसाईटी द्वारा कार्यक्रम का अनुश्रवण किया जायेगा।

9. सहायक निदेशक, उद्यान द्वारा योजना की प्रगति की समीक्षा प्रत्येक 15 दिनों पर किया जायेगा तथा प्रगति प्रतिवेदन एवं व्यय की गई राशि संबंधित प्रतिवेदन प्रमण्डलीय उप निदेशक उद्यान तथा उद्यान निदेशालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

10. प्रमण्डलीय उप निदेशक, उद्यान द्वारा प्रमण्डल स्तर पर योजना की प्रगति का पर्यवेक्षण एवं समीक्षा किया जायेगा एवं निदेशक, उद्यान को प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जायेगा।

(राकेश कुमार) (अभिषेक कुमार)

11. योजना के राज्य स्तरीय नोडल पदाधिकारी द्वारा योजना की समय–समय पर गहन समीक्षा कर शत् प्रतिशत उपलब्धि सुनिश्चित की जायेगी।

12. निदेशक, उद्यान द्वारा प्रत्येक माह योजना की प्रगति की समीक्षा, पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण किया जायेगा तथा सचिव, कृषि को अवगत कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

13. निरीक्षण हेतु पदाधिकारी की विवरणी निम्नवत् हैः–

क्र० सं०	**पदाधिकारी**	**दायित्व**
1	प्रखंड उद्यान पदाधिकारी	अपने–अपने क्षेत्र में शत–प्रतिशत (100 प्रतिशत) कार्यान्वित योजना का निरीक्षण कर निरीक्षण प्रतिवेदन सहायक निदेशक उद्यान को उपलब्ध कराया जायेगा।
2	सहायक निदेशक उद्यान	योजना का 25 प्रतिशत निरीक्षण का कार्य किया जायेगा।
3	प्रमंडलीय उप निदेशक उद्यान	कार्यान्वित योजना का 5 प्रतिशत निरीक्षण का कार्य किया जायेगा।
4	निदेशक, उद्यान /संयुक्त निदेशक/नोडल पदाधिकारी	समय–समय पर/आवश्यकतानुसार

(राकेश कुमार)

(अभिषेक कुमार)